न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 29/16 **सन् 2016**

आरसीएमएस संख्या 2016/000260

बउनवानीः—

1. केलाश पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी जीनापुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1227 निर्णय दिनांक 27.6.2016 वाके ग्राम गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री मोती सिंह राठौड — वकील अपीलान्ट

2. श्री महावीर चौधरी — वकील रेस्पो.

—: निर्णय :— **दिनांक 03.07.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 1227 निर्णय दिनांक 27.6.2016 वाके ग्राम गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1227 दिनांक 27.6.2016 खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा नामा0 खोलने से पूर्व मौके की स्थिति का अवलोकन नही कर अहम भूल की हैं। अपीलान्ट द्वारा भूमि ख0न03382,3383 कुल रकबा 0.25 है0को दिनांक 13.1.2015 को कार्यालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक/राजस्व/15/68—71 दिनांक 13.1.2015 को उक्त भूमि को आवासीय ईकाई मे सम्परिवर्तन किया गया है उसके बाद उक्त भूमि में आवासीय मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है उक्त भूमि की किस्म गै.मु. आबादी हो चुकी है जिसका नोट जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 में अंकित है तथा उक्त भूमि में भविष्य मे कभी रास्ता नही रहा है इसलिए बिना मौके की स्थिति जाने ही उक्त नामा0 तस्दीक किया गया है जो कानूनन गलत है इसलिए उक्त नामा0 को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह तर्क भी दिया कि माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर में एक निगरानी लडडू बनाम जानकी लाल को झूंठे तथ्यो के आधार पर बिना खातेदार को पक्षकार बनाये ही एक तरफा फैसला करवाकर तहसीलदार व पटवारी हल्का से मिलकर नामा0 खुलवा लिया जो एकदम गलत है। जबकि अन्य खातेदारों का उक्त आराजी से कोई लेना देना नही है। आपसी रंजिशवश न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर मे झूंठी निगरानी पेश की गयी जिसमे अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया गया है जिसके कारण अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर नही दिया जाकर पूर्व खातेदार से मिलकर झूंठे तथ्यो को आधार बनाकर अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा फैसला कर दिया ओर फैसला के आधार पर अदालत मातहत ने नामा0 तस्दीक कर दिया जबकि उक्त आराजी में अपीलान्ट का हित निहित है व अपीलान्ट स्वंय उक्त आराजी में खातेदार है जिसको सुनना अति आवश्यक था, किन्तु तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान नही कर लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के कानूनी प्रावधानो की पालना नही की गयी है। इसलिए आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.6.2016 को पटवारी हल्का के बताये जाने पर प्राप्त होने पर नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 8.8.2016 को नकल प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1227 दिनांक 27.6.2016 न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा निगरानी संख्या 1/2012 बउनवानी लडडू वगै.बनाम जानकीलाल मे पारित निर्णय दिनांक 29.12.2015 की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है। उक्त निगरानी में माननीय न्यायालय द्वारा आवंटी का आवंटन निरस्त कर दिया गया था जिसकी पालना मे उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। इसलिए अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1227 दिनांक 27.6.2016 इस न्यायालय द्वारा निगरानी संख्या 1/2012 बउनवानी लडडू वगै.बनाम जानकीलाल मे पारित निर्णय दिनांक 29.12.2015 की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है। चूंकि न्यायालय के आदेश दिनांक 29.12.2015 से आवंटी का आवंटन निरस्त किया गया है जिसकी पालना में आवंटी को आवंटित भूमि सिवाचक दर्ज की जानी थी जो आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 1227 द्वारा की गयी है। चूंकि विवादित नामा0 न्यायालय के आदेश से तस्दीक किया गया है जिसमें अपीलान्ट को सुना जाना आवश्यक नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट के अनुसार न्यायालय जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 29.12.2015 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय मे अपील पेश की गयी है जिसमे पक्षकारान का स्वामित्व का निर्धारण होना है। इस प्रकार तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश अपील नामा0 1227 दिनांक 27.6.2016 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 17:30:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: